संख्या-15/2024-वे0आ0-2-587/दस-2024-ई0प0(क0सं0-1784343)

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 28 सितम्बर, 2024**

विषय : सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक को अनुमन्य वर्दी भत्ता हेतु मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के सातवां प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(i) सचिवालय से इतर विभिन्न राजकीय विभागों के जिन कर्मचारियों को वर्दी अथवा वर्दी भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है, उन्हें ड्यूटी के समय वर्दी पहनना अनिवार्य किया जाय। वर्दी न पहनकर ड्यूटी पर आने वाले उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

(ii) सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों के लिये अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते को निम्नानुसार संशोधित किया जाय:-

(1)(क) चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों के लिये सिली सिलाई वर्दी अनुमन्य कराये जाने हेतु निर्धारित धनराशि की अधिकतम सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाय :-

क्रमांक	मद का नाम	वर्तमान में लागू दरें/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्रीष्मकालीन वर्दी हेतु	680.00	1020.00
2	शीतकालीन वर्दी हेतु	1310.00	1965.00
3	जूता	164.00	246.00
4	कम्बल	200.00	300.00
5	छाता	96.00	144.00
6	रेनकोट	500.00	750.00

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रेनकोट जिसका अधिकतम मूल्य रू0 750 हो, प्रत्येक 05 वर्ष पर उपलब्ध कराया जाय।

(ख) चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों को उपरोक्त अधिकतम धनराशि की सीमा के प्रतिबन्ध के अधीन निम्नानुसार वर्दी सिलाकर अनुमन्य करायी जाय :-

चतुर्थ श्रेणी पुरूष कर्मियों के लिये

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 पैंट टेरीकाट (सूटिंग कपडे में)	प्रत्येक 04 वर्षों में एक बार
	04 बुशर्ट पूरी बाँह - टेरीकाट (सर्टिंग कपड़े में)	
	साफा 18 मीटर - (सूती कपडे में) जिन्हें पूर्व में अनुमन्य था।	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षों में एक बार
	01 ऊनी पैंट	
	01 ऊनी कम्बल	

चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मियों के लिये

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 साड़ी टेरीकाट	प्रति वर्ष
	02 ब्लाउज टेरीकाट	
	02 पेटीकोट सूती	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षों में एक बार
	01 ऊनी कम्बल	

वर्दी धुलाई भत्ते की दरें (प्रतिमाह)

पदनाम	पूर्व दरें	वर्तमान दरें
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	40	60

(ग) वाहन चालकों के लिये

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 पैंट टेरीकाट (सूटिंग कपडे में)	प्रत्येक 04 वर्षों में एक बार
	04 बुशर्ट पूरी बाँह - टेरीकाट (सर्टिंग कपड़े में)	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षों में एक बार
	01 ऊनी पैंट	
	01 ऊनी कम्बल	
	एक जोड़ी जूता/मोजा	प्रत्येक 02 वर्षों में एक बार
	छाता	प्रत्येक 05 वर्षों में एक बार

वर्दी धुलाई भत्ते की दरें (प्रतिमाह)

पदनाम	पूर्व दरें	वर्तमान दरें
वाहन चालक	60	90

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।